फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं. /202

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	7/5/25	पत्रावली पेश हुई। P.O. का अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 28/5/25 को पेश हो।
	28-5-25	पत्रावली पेश हुई। अनुसार भारिकल उपस्थित। अभ्यर्थिगण के तामील सम्मन का डिलीवरी रजिस्टर पूर्व से पेश किया गया है। अभ्यर्थी सं. 2 की तामील पूर्ण। अभ्यर्थी सं. 8 से 20, 23 से 33 की तलबी पुनः जारी Reg. A4 जारी होकर पत्रावली दिनांक 25/6/2025 को पेश हो। ASC उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर
	25-6-25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रार्थी को आज न्यायालय में पृथक-पृथक समय पर तीन-तीन बार आवाजे लगवायी गयी। बावजूद आवाज लगवाने के उपरांत भी प्रार्थी के न्यायालय में हाजिर नहीं आने के कारण पत्रावली अन्तर्गत आदेश-9 नियम-3 सी.पी.सी. के तहत अदम पैरवी व अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नकंर ले कम होकर दाखिल दफ्तर हो। JC उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर